



प्रेषक,

निर्मेष कुमार शुक्ल,

संयुक्त सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

यूपीडा, पिकप भवन,

गोमती नगर लखनऊ।

अवस्थापना विकास अनुभाग

लखनऊ : दिनांक 03.07.2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे जनपद हरदोई वाया फर्रुखाबाद तक प्रस्तावित प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे विकसित किये जाने हेतु धनराशि का आवंटन महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा के पत्रांक 535/बजट/आगरा-535/बजट/आगरा-पूर्वचल लिंक एक्सप्रेसवे/2025 दिनांक 11.06.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्टकरें जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे जनपद हरदोई वाया फर्रुखाबाद तक प्रस्तावित प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे विकसित किये जाने हेतु ₹ 7500.00 का आवंटन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं०-007 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-23 आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे जनपद हरदोई वाया फर्रुखाबाद तक प्रस्तावित प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना-24-वृहत निर्माण के अन्तर्गत धनराशि ₹ 25000.00 लाख में से ₹ 7500.00 लाख (रूपये पछत्तर करोड़ मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

- (1) धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।
- (2) किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते / अन्य किसी खाते में नहीं रखा जायेगा।
- (3) यूपीडा द्वारा अग्रतर कार्यवाही करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रश्रुगत परियोजना नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदित है।
- (4) स्वीकृति धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2026 तथा अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
- (6) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए यूपीडा उत्तरदायी होंगे।
- (7) उक्त स्वीकृत धनराशि पर नियमानुसार यथावश्यक सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।

(8) आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 75,00,00,000 (रुपये पचहत्तर करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026 - 27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 5054033372300 आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे से गंगा एक्सप्रेस-वे जनपद हरदोई वाया फर्रुखाबाद तक प्रस्तावित प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(निर्मेष कुमार शुक्ल)
संयुक्त सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा० विभागीय मंत्रीजी, अवस्थापना विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।
3. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० प्रयागराज।
7. वित्त नियंत्रक, यूपीडा, पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ।
8. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन ।
9. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
10. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
11. नोडल बजट एलाटमेन्ट सिस्टम।
12. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(निर्मेष कुमार शुक्ल)
संयुक्त सचिव